न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 454 / 2022

निर्णय दिनांक :–11.10.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

रामस्वरूप पुत्र श्योकरण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री राजेन्द्र शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं झूमा पुत्री हरलाल को अतिरिक्त कलेक्टर, बीसलपुर पुर्नवास मुख्यालय देवली द्वारा दिनांक 02.08.2001 को आराजी खसरा नम्बर 1419 में रकबा 0.68 है0 भूमि वाके ग्राम देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक मे स्थित आवंटन की गई थी तथा पुरानी नक्शा सीट के आधार पर कब्जा संभलाया गया था। प्रार्थी का पुरानी नक्शा सीट के आधार पर आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान भी काबिज है। खसरा नम्बर 1419 के बाद में खसरा नम्बर 1737 / 1419 रकबा 0.68 है0 बनाये गये जो पुरानी नक्शा सीट मे तरमीम हो रखे है। हल्का पटवारी व गिरदावर ने बिना मोका देखे व बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही नक्शा ट्रेस मे अपनी मर्जी से तरमीम कर दिया जो बिल्कुल गलत है। पुरानी नक्शा सीट के आधार पर ही नई नक्शा सीट बनानी चाहिये थी परन्तु प्रार्थी की भूमि को हाल नक्शा सीट मे अन्यत्र

जगह अंकित कर दी इस कारण हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा सहवन से जो खसरा नम्बर 1419 और उसके जो नये खसरा नम्बर 1737/1419 बने है मे जो तरमीम की गई है उसे निरस्त की जाकर पुरानी नक्शा सीट के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिये न्यायहित मे नक्शा ट्रेस में जो गलत तरमीम की गई है उसे निरस्त कर मोके पर पुरानी शीट के आधार पर पुनः शीट में तरमीम का राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। उक्त त्रुटि भूलवश हुई है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि के सहखातेदार झूमा पुत्री हरलाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी का निवास स्थान व आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा जो खसरा नम्बर 1419 और उसके जो नये नम्बर 1737/1419 बने है में जो नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई है उसे निरस्त कर पुरानी शीट के अनुसार पुनः शीट मे तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली ने जवाब पेश किया जो इस प्रकर है:- बिन्दु नम्बर एक स्वीकार है। वादी को आवंटन की कब्जा सुपुर्दगी पटवारी द्वारा दी जाकर तरमीम नक्शा शीट में की थी। वादी द्वारा अपना कब्जा काश्त पुरानी सीट अनुसार बताया गया है । कब्जे के सबूत स्वयं सिद्ध करे । चरण तीन अस्वीकार है। राजस्व कर्मचारी द्वारा मौके अनुसार सीट बनाई गई है। शेष इबारत वादी सिद्ध करे। चरण चार कानूनी है, न्यायालय न्यायालय से सम्बधित है। चरण नं. 5 न्यायालय से सम्बन्धित व कानूनी है। चरण नं. 6 न्यायालय से सम्बन्धित व कानूनी है। प्रार्थी अपनी नक्शा सीट को दुरूस्त करवाना चाहता है,

पुरानी नक्शा शीट व नई नक्शा शीट के द्वारा वादी की आराजी का निर्णय सम्भव है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर, बीसलपुर पुनर्वास, मुख्यालय, देवली के आवन्टन आदेश क्रमांक 2791 दिनांक 02.08.01 के अनुसार झूमा पुत्री हरला मीणा रामस्वरूप पुत्र मोत्या पुत्री श्योकरण मीणा निवासी देवपुरा को कीमतन आवंटन है। ख. नं. 1419 रकबा 0.41 है0 व रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 0.68 है0 वाके देवपुरा को आवंटन है । जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में ख. नं. 1737/1419 रकबा 0.68 है0 के खातेदार झूमा पुत्री हरलाल हिस्सा 1/2 व प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है। पुरानी नक्शा ट्रेस दिनांक 20.12.2001 में लाल पेन से वादी को 1737/1419 को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाया गया है। नई नक्शा ट्रेस दिनांक 21.07.2022 में प्रार्थी की भूमि ख. नं. 1737/1419 को उतर से दक्षिण की ओर दर्शित कर रखा है, जिसको प्रार्थी कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर, बीसलपुरा पुनर्वास, मुख्यालय, देवली के आवन्टन आदेश क्रमांक 2791 दिनांक 02.08.01 के अनुसार पूर्व से पश्चिम करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार देवली अपने जवाब में पुरानी नक्शा शीट व नई नक्शा शीट के द्वारा वादी की आराजी का निर्णय सम्भव है। उक्तानुसार पुरानी नक्शा शीट व नई नक्शा शीट का अवलोकन पर स्पष्ट दृष्टिगत है कि जमाबन्दी में रकबा आवंटन आदेश अनुसार ही 0.68 है0 है। पुरानी नक्शा ट्रेस दिनांक 20.12.2001 में लाल पेन से वादी

को 1737/1419 को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाया गया है जबकि नई नक्शा ट्रेस दिनांक 21.07.2022 में प्रार्थी की भूमि ख. नं. 1737/1419 को उतर से दक्षिण की ओर दर्शित कर रखा है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश किया जाना प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली को प्रार्थी की भूमि का रकबा पुरानी नक्शा ट्रेस दिनांक 20.12.2001 के अनुसार मोके पर कब्जेकाश्त की जांच कर तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली